

राजस्थान सरकार
राजस्व ग्युन-6 विभाग

क्रमांक:-पो 6१21१राज/ग्युन-6/99/33 जयपुर, दिनांक:-13.9.2K

-: शुद्धि पत्र :-

इस विभाग की अधिसूचना अंग्रेजी क्रमांक एफ. 6१21१
रेव-6/99/24 दिनांक 7.7.2000 के निम्नलिखित पैरा 3 "Amendment of
rule 2B,- In rule 2B of the said rules, after the words
"a small industry" and before the punctuation mark coma",
", the word "or a tourism unit" shall be inserted." के स्थान पर

निम्नलिखित पैरा 3 ओर 4 पढ़ा जावे ।

3. Amendment of rule 2B,- In rule 2B of the said rules,
after the words "a small industry" and before the
punctuation mark coma", ", the word "or a tourism unit"
shall be inserted.

4. Amendment of rule 5.- In sub-rule (1) of rule 5 of
the said rules, after the words "shall industry" and before
punctuation mark full stop". " appearing in column 2 against
serial No 1, the words "or a tourism unit" shall be
inserted.)

By Order of the Governor.

Deputy Secretary to Govt.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री/मुख्य सचिव/सचिव, राजस्व ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
5. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
6. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक
13.9.2K में प्रकाशनार्थ ।
7. संयुक्त रजिस्ट्रार & न्यायाधीश पुस्तकालय & उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
8. " राविरा " राजस्व मण्डल, अजमेर ।
9. विधि संहिताकरण विभाग ।
10. उप निबन्धक & वित्त एवं लेखा & राजस्व मण्डल, अजमेर ।
11. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

मनोज/